न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./47/2021/बाड़मेर

अपीलांटरा	रेस्पोडेंटगण
1. वेहनाराम पुत्र मोडाराम का.मु. 1/1हिमथा पुत्र वेहना का.मु 1/1/2ईमियों पत्नी हिमथा 1/1/3रमेश पुत्र हिमथा 1/1/4पन्नाराम पुत्र हिमथा 1/2भूराराम पुत्र वेहनाराम 1/3बाबूराम पुत्र वेहनाराम 1/4पपूराम पुत्र वेहनाराम 1/5हनुमानराम पुत्र वेहनाराम 1/6गणपत पुत्र वेहनाराम जातियान जाट निवासीयान महिंगपुरा (खोखर पश्चिम) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 2. चम्पादेवी पत्नी वेहनाराम जातियान जाट निवासीयान महिंगपुरा (खोखर पश्चिम) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	1. भींयाराम पुत्र मोडाराम 2. मगाराम पुत्र पदमाराम 3. गोमाराम पुत्र पदमाराम 4. खुशालाराम पुत्र पदमाराम 5. केशाराम पुत्र पदमाराम 6. धन्नी देवी पत्नी पदमाराम 7. अणदाराम पुत्र मोडाराम 8. लेहरों देवी पत्नी अणदाराम जातियान जाट निवासीयान महिंगपुरा (खोखर पश्चिम) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 67/2016 बअनवान अणदाराम वगैरा बनाम भींयाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल, श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—24.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 492, 514, 515, 519, 522 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्रमशः 1.0764, 2.2177, 9.0892, 2.3148, 1.0198 कुल रकबा 15.7179 हैक्टयर मौजा गूंगरोट पटवार क्षेत्र गोलिया तहसील रिवाना जिला बाड़मेर में आये हुऐ है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खातेदारी का है तथा मौके पर मौखिक बंटवाडा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुऐ है, जिस कारण पक्षकारन के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इयलिए वादी अपने हिस्से की मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिये वादी अपने हिस्से की मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते है जिस हेतु यह वाद पेश किया गया। अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.09.2021 को पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंटस संख्या 2, 6 की तरफ से श्री भंवरलाल चौधरी ने दिनांक 27.10.2021 को वकालतनामा पेश किया लेकिन तारीख पेशी दिनांक 20.06.2023 को पैरवी हिदायत नहीं है होना न्यायालय के समक्ष जाहिर किया। लिहाजा विद्वान अपीलांटस अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गिड़ा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा अधीनरथ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनरथ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनरथ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि इस निर्णय व डिक्री का वास्तविक ज्ञान अपीलांट को दिनांक 09.07.2021 को हुआ क्योंकि पूर्व में अपीलांटगण को गलत निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2017 की जानकारी नहीं हो सकी क्योकि उतरदातागण द्वारा गलत निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में चल रहे रास्ते पर व्यवधान करने का प्रयास किया गया ओर रास्ता बन्द किया गया तव अपीलांटस ने संबंध में जानकारी चाही तब सर्वप्रथम अपीलांटगण को यह ज्ञात हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अपीलांटस अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना–पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.02.2017 की पालना गें प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 67/2016 बअनवान अणदाराम वगैरा बनाम भींयाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर रास्ते का प्रावधान रखते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रविष्टा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर